

फार्म

प्रथम नियुक्ति से समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2024

- (1) अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो - ललिता पटेल, निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान (नाप-तौल)
- (2) वर्तमान धारित पद - निरीक्षक
- (3) वर्तमान वेतन - 37500/- मूल वेतन

(4) अगली वेतन वृद्धि की तारीख - 01.07.2025

उस जिले उप संभाग तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारियों से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ख्यौरा	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
म.न. जूनियर एम.आई.जी.-बी 153, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुभाष नगर महाराजपुर, जबलपुर(म.प्र.)	गृह (क्षेत्र 78 वर्ग मी.)	-	24 लाख	स्वयं	खरीद दिनांक 04.07.2017, म.प्र., हाउसिंग बोर्ड जबलपुर(म.प्र.)	60000/-	-

जहाँ लागू न हो काट दीजिए, ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति में संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है

मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम 1959 के नियम-18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषण पत्र भरकर प्रस्तुत करें, और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरा में।

टिप्पणी

हस्ताक्षर

Pratibha 03/01/2025

नाम - ललिता पटेल

पद - निरीक्षक

विभाग - विधिक मापविज्ञान (नाप-तौल) म.प्र.
भोपाल

